

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 25.08.25

क्रमांक रीडर/2025/ 6937

प्रार्थी
1 नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह
जाति राजपूत निवासी
महाबार तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 केसरसिंह 2 बलवंतरिंह पिसरान हुकमसिंह 3 अभयसिंह 4
जेठगालसिंह 5 रविन्द्रसिंह पिसरान लखसिंह 6 छगनकंवर पत्नि
लखसिंह 7 वीरसिंह 8 पुजाराजसिंह पिसरान मंगलसिंह 9 गोपीकंवर
पत्नि मंगलसिंह 10 लीलसिंह 11 कमलसिंह 12 कुशलसिंह पिसरान
खीमसिंह 13 धर्मसिंह 14 गोविन्द्रसिंह 15 गुलावसिंह 16 भगसिंह 17
गोखलसिंह पिसरान निम्बसिंह 18 मीराकंवर पत्नि नीम्बसिंह 19
लुणसिंह 20 धर्मसिंह 21 भूपालसिंह पिसरान भैरसिंह 22 समधकंवर
पत्नि भैरसिंह 23 गमसिंह पुत्र चंदनसिंह 24 तिलोकसिंह पुत्र चंदनसह
25 गांगूकंवर पत्नि चन्दनसिंह 26 अखसिंह 27 चुतरसिंह 28 चैनसिंह
पिसरान रायसिंह 29 दरियाकंवर पत्नि रायसिंह 30 वीरसिंह 31
जयसिंह 32 पृथ्वीराजसिंह 33 लुणसिंह 34 हरीसिंह पिसरान
सबलसिंह उर्फ सांवलसिंह 35 रणछोडसिंह 36 उम्मेदसिंह 37 जयसिंह
38 सवाईसिंह पिसरान सगतसिंह उर्फ शक्तिसिंह 39 जतनकंवर पत्नि
सगतसिंह उर्फ शक्तिसिंह 40 नीता कुमारी पत्नि लुणसिंह 41 उगमसिंह
42 भीखसिंह पिसरान भूरसिंह 43 कसुम्बाकंवर पत्नि भूरसिंह 44
जोगराजसिंह 45 हिगोलसिंह 46 मालसिंह पिसरान रावतसिंह 47
इन्द्राकंवर पत्नि रावतसिंह 48 जुगतसिंह 49 आम्बसिंह पिसरान नगसिंह
50 एवनकंवर पत्नि दलपतसिंह जाति राजपुत निवासी भागवा हाल
शास्त्री नगर बाड़मेर 51 सगतसिंह 52 जेतमालसिंह 53 तनसिंह 54
वीरसिंह पिसरान गेमरसिंह 55 टीलंसह 56 कानसिंह पिसरान
बेरीसालसिंह 57 कंवराकंवर पत्नि वेरीसालसिंह 58 आईदानसिंह पुत्र
जगमालसिंह 59 वभूतसिंह पुत्र सुखसिंह 60 जोगराजसिंह 61 देवीसिंह
62 नरपतसिंह पिसरान उम्मेदसिंह 63 शांतिकंवर पत्नि उम्मेदसिंह
जातियान राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 385/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या
185 रकबा 48.06 बिघा व खसरा संख्या 186 रकबा 0.13 बिस्वा, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6938-41

दिनांक- 25.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण केसरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी भागवा हाल शास्त्री नगर बाड़मेर तहसील व
जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर